(3)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.

Case No. 1038/22
Summary No. 476/22

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र आब. वृत्त – मल्हारगढ़
जिला मंदसौर म.प्र.।

---- अभियोगी

बनाम

प्रकाश पि. रामलाल
उम्र – 23 वर्ष नि. – खात्याखेड़ी

----अभियुक्त

{अपराध विवरण}

आज दिनांक 28/10/22 को विरचित

मैं साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ, जिला मंदसौर (म.प्र) आप अभियुक्त प्रकाश पिता रामलाल उम्र 23 वर्ष निवासी– खात्याखेड़ी के विरुद्ध निम्नलिखित अपराध विवरण की विशिष्टया निर्मित कर पढकर सुनाता समझाता हू कि :–

01– आपने दिनांक 11/10/22 को समय 6:30 से 6:40 बजे के दरमियान खात्याखेड़ी मंदसौर पुलिस थाना आब. वृत्त-मल्हारगढ़ ~~जिला मंदसौर~~ क्षेत्र अंतर्गत बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में 11 ल्टा देशी प्लेन/मसाला शराब रखी या उक्त शराब का परिवहन किया, जो कि धारा 34(1–क) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दडनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आप प्रकट करो कि अपराध स्वीकार करना चाहते हो अथवा प्रतिरक्षा करना चाहते हो।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र)

अभियुक्त का अभिवाक:–

अभियुक्त को उक्त अपराध की विशिष्टिया पढकर सुनाई व समझाई गई तो उसका अभिवाक है कि– अपराध स्वीकार है

प्रकाश

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.

Case No ..103.8/22

Summary No .476/22

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र थाना-प्रभारी-नारायणगढ़ जिला मंदसौर मप्र। ------ अभियोगी

बनाम

प्रकाश पिता रामलाल उम्र - 23 वर्ष नि. - खाल्या खेड़ी ------अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 28/10/22 को घोषित)

01. स्वेच्छिक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जाता है।

02. वर्तमान में लोगों मे नशा करने की प्रवृत्तिया बढ रही हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों एव परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नही दिया जाता है।

03. प्रकरण के तथ्यों एव परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एव 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नही किये जाने की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

04. प्रकरण मे जप्तशुदा शराब विधिवत नष्ट की जावे।

स्थान - नारायणगढ

दिनाक - 28/10/22

मेरे बोलने पर टकित किया गया।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ जिला मदसौर म प्र